N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0175   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 09/07/2025 18:27 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 02/07/2025   Date To (दिनांक तक): 07/07/2025

Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 17:30 बजे   Time To (समय तक): 12:45 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 09/07/2025   Time (समय): 12:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001   Date & Time (दिनांक एवं समय) 09/07/2025 18:27:11 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH, 8 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): KARYALYA COMMANDANT/SAMADESHTA, GRAH RAKSHA PRAKSHIN KENDRA,, M.I.ROAD,JAIPUR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): ARVIND SINGH SHEKHAWAT

(b) Father's Name (पिता का नाम): LET.CHAND SINGH SHEKHAWAT

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1988 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	278, HANUMAN MANDIR KE PASS, HASANPURA A JAIPUR, C.P.S Jaipur, ACB DISTRICT, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	278, HANUMAN MANDIR KE PASS, HASANPURA A JAIPUR, C.P.S Jaipur, ACB DISTRICT, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	CHANDRAPAL SINGH SHEKHWAT		पिता:JAYSINGH	1. 288 LAYANS LINE WEST,MAHAVEER KUNJ GARDEN KE PICHHE,BEED KHATIPURA,JHOTWARA,SIRSE ROAD JAIPUR,JHOTWARA,JAIPUR
2	NAVNEET JOSHI		पिता:NAVEEN CHANDRA JOSHI	1. 45,GURU JAMBHESHVAR NAGAR-B,VIASHALI NAGAR,JAIPUR,CHITRAKOOT,J AIPUR

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 02.07.2025 को श्री ओमप्रकाश किलानिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर नगर द्वितीय जयपुर ने मुझ पुलिस निरीक्षक छोटीलाल मीणा को अपने कक्ष में बुलाकर उनके कार्यालय कक्ष में बैठे व्यक्ति से परिचय कराते हुये बताया कि यह श्री अरविन्द सिंह शेखावत है, जिन्होने यह हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज के पेश किया है और प्रार्थना-पत्र मय संलग्न दस्तावेजों के मुझे सौंपते हुये आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश देने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय प्रार्थना पत्र व परिवादी श्री अरविन्द सिंह शेखावत के मेरे कक्ष में आया तथा श्री अरविन्द सिंह शेखावत से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अरविन्द सिंह शेखावत पुत्र स्व. चन्द्र सिंह शेखावत निवासी 278, हनुमान मन्दिर के पास, हसनपुरा ए, जयपुर हाल होमगार्ड एचएचसी 2484 मोबाईल नंबर [redacted] होना बताया। इसके पश्चात् मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री अरविन्द सिंह शेखावत द्वारा पेश हस्तलिखित प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। मजमून रिपोर्ट परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर बताया कि मैं प्रार्थी अरविन्द सिंह शेखावत पुत्र स्व. चन्द सिंह शेखावत उम्र 37 वर्ष निवासी 278 हनुमान मन्दिर के पास हसनुपरा ए जयपुर का रहने वाला हूं। प्रार्थी वर्तमान में गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर में अवैतनिक मुख्य आरक्षी स्वयं सेवक पद पर कार्यरत हूं और वर्तमान में निलम्बित चल रहा हूं। गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर के नवनीत जोशी समादेष्टा पद पर होकर मेरे को दिये हुये नोटिस का निर्णय व मुझे बहाल करने के लिए बार बार सम्पर्क करने के बाद भी व दिनांक 20.06.2025 को व्यक्तिगत सुनवाई किये जाने के बाद भी मेरे नोटिस का निर्णय नहीं कर रहा है और ना ही बहाल कर रहा है। मेरे समादेष्टा महोदय के ऑफिस में कार्यरत कम्पनी कमाण्डर श्री चन्द्रपाल सिंह शेखावत से दिनांक 30.06.2025 को मिला और उनसे कहा कि सर मेरे को बहाल करवाओ तो उन्होने कहा कि सीओ साहब दो लाख रूपये पूरे लेंगे। मैं समादेष्टा नवनीत जोशी के पास मुझे बहाल करने का निवेदन लेकर कल जाउंगा तो नवनीत जोशी मेरे से मुझे बहाल करने के लिए रिश्वत मांग करेगा। मैं उसे रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मैं कार्यवाही करवाना चाहता हूं। मेरी नवनीत जोशी से कोई रंजिश व कोई लेन देन बकाया नहीं है। मेरी विभागीय कार्यवाही से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत है। लोकसेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का दुरूपयोग कर रिश्वत की मांग किया जाना भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। अतः परिवादी अरविन्द सिंह शेखावत व एसओ नवनीत जोशी के मध्य वार्ता करवायी जाकर सत्यापन करवाया जाना उचित प्रतीत होने पर रिश्वत मांग सत्यापन करने हेतु परिवादी श्री अरविन्द सिंह शेखावत से कहा गया तो श्री अरविन्द सिंह शेखावत ने अवगत करवाया कि मैं कल दिनांक 03.07.2025 को एसओ नवनीत जोशी के कार्यालय में जाकर मुझे बहाल करने, मुझे दिये गये नोटिस पर निर्णय करने व इस बाबत रिश्वत से सम्बन्धित वार्तालाप करूंगा। इस पर परिवादी श्री अरविन्द सिंह शेखावत को दिनांक 03.07.2025 को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने व गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 03.07.2025 को समय 11.35 ए.एम. परिवादी श्री अरविन्द सिंह शेखावत उपस्थित कार्यालय आया जिसने अवगत करवाया कि आज दिनांक को समादेष्टा नवनीत जोशी के पास जाना है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय की अलमारी से एक नया micro SD HC 32 GB HIKVISION व डिजिटल वॉयस रिकार्डर निकालकर कार्यालय लेपटॉप से दोनों खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री अरविन्द सिंह शेखावत को समादेष्टा कार्यालय में जाकर एसओ श्री नवनीत जोशी से रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता करने की प्रक्रिया समझाइश की तथा वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर की इस्तेमाली प्रक्रिया समझाइश की जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड पुनः खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री अरविन्द सिंह शेखावत को सुपुर्द किया जाकर श्री चन्द्रप्रकाश कानिस्टेबल नं.181 व परिवादी का आपस मे परिचय करवाकर एक दुसरे के मोबाईल नम्बर शेयर करवाकर वास्ते रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया। समय 5.00 पी.एम. पर श्री चन्द्रप्रकाश कानिस्टेबल नं. 181 मय परिवादी श्री अरविन्द सिंह

शेखावत के ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। परिवादी ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अवगत करवाया कि ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर एमआई रोड़ जीपीओ के पास पहुंचा जहां पर श्री चन्द्रप्रकाश जी ठहर गये। मैं डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू करके नवनीत जोशी से वार्ता करने हेतु हमारे कार्यालय गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर में स्थित समादेष्टा ऑफिस में गया जहां पर मैंने रनर के साथ मेरे नाम की पर्ची भिजवाई फिर उन्होनें मुझे अन्दर बुलाया तो अन्दर श्री नवनीत जोशी समादेष्टा व कम्पनी कमाण्डर श्री चन्द्रपाल सिंह बैठे थे। मैंने मुझे बहाल कर ड्यूटी पर लगाने का निवेदन किया कुछ देर बातचीत हुई इतनी देर में कमाण्डेण्ट साहब के गेस्ट आने के कारण मुझे दस मिनट बाहर बैठने के लिए भेजकर कहा कि आप बाहर बैठो मैं बुलाता हूं। करीब आधा पौन घण्टा बाद मैं समादेष्टा के कार्यालय में वापस गया तो कार्यालय में चन्द्रपाल जी नहीं थे केवल कमाण्डेण्ट साहब ही थे जिनसे मैंने बातचीत की और मैंने कहा कि सर मेरी गलती हो गई उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आगे से ड्यूटी के दौरान कोई गलती नहीं होगी तो फिर कमाण्डेण्ट साहब बोले कि फेसला कर दूं तो मैंने कहा कि सर कर दो। फिर वो बोले कि तेरे को पता है कि क्या हिसाब है मैंने कहा कि साहब चन्द्रपाल जी ने पहले चार लाख की कहकर बताया कि दो लाख रूपये लगेंगे कम से कम। इस पर कमाण्डेण्ट साहब बोले कि दो तो लगेंगे ही कम से कम। फिर बोले कि चन्द्रपाल जी को बुलाकर लाओ। फिर मैं चन्द्रपाल जी को बुलाकर लाया फिर कमाण्डेण्ट साहब के कार्यालय में चन्द्रपाल जी ने कहा कि साहब आपने जो बताये मैंने इसको बता दिया। ये बोल रहा है कि ये इंस्टॉलमेन्ट में दे देगा तो कमाण्डेण्ट साहब ने कहा कि आप जमानत ले रहे हो क्या इसकी, कि ये दे देगा। फिर मैंने हाथ जोड़कर कमाण्डेण्ट साहब को निवेदन किया कि साहब पांच या दस हजार की इंस्टॉलमेन्ट दे सकता हूं मैं। इस पर कमाण्डेण्ट साहब ने मना कर दिया और दो लाख रूपये की मांग के अनुसार रिश्वती राशि आठ इंस्टॉलमेन्ट में लेना तय कर 25-25 हजार रूपये की 8 इंस्टालमेण्ट मे रिश्वत लेना तय किया है। मैंने कहा कि ठीक है साहब। फिर कमाण्डेण्ट साहब ने कहा कि पहली इंस्टॉलमेन्ट अगले महिने मे स्टार्ट हो जायेगी फिर थोड़ी देर बाद बोले कि नहीं पहली इंस्टॉलमेन्ट इसी महिने देनी होगी। तो मैंने एक दो दिन का समय मांगा कि सर मैं सोमवार तक व्यवस्था करता हूं। इस पर उन्होनें कहा कि ठीक है बहाली के आदेश हो जायेंगे पहली इंस्टॉलमेन्ट (25 हजार रूपये) देने के बाद ड्यूटी लग जायेगी, आप जा सकते है। इसके बाद मैं कार्यालय से बाहर आकर श्री चन्द्रप्रकाश जी कॉल करके उनके पास आया और डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को बंद करके अपने पास सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद मैं और चन्द्रप्रकाश जी वहां से रवाना होकर एसीबी कार्यालय आ गये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू करके रिकॉर्डेड वार्ता को सुना गया तो परिवादी द्वारा बतायी गयी बातों की ताईद हुयी, रिकॉर्ड वार्ता मे आवाज की पहचान उपस्थित परिवादी ने एक आवाज स्वंय की व अन्य आवाज कमाण्डेंट नवनीत जोशी व कम्पनी कमाण्डर श्री चन्द्रपाल सिंह शेखावत की होना पहचान की तथा सत्यापन वार्ता के अनुसार नवनीत जोशी कमाण्डेंट द्वारा परिवादी को बहाल करने व विचाराधीन विभागीय कार्यवाही का निर्णय करने हेतु 2 लाख रूपये की रिश्वत मांग करते हुये रिश्वती राशि 25-25 हजार रूपये की कुल 8 इंसटॉलमेण्ट मे अपने कार्यालय मे पदस्थापित कम्पनी कमाण्डर चन्द्रपाल सिंह शेखावत के माध्यम मे लेना तय किया व प्रथम किश्त 25 हजार रूपये सोमवार को प्राप्त करने का समय दिया । इस पर परिवादी को हिदायत की गयी कि जब भी एसओ का कॉल आये तो मन् पुलिस निरीक्षक या श्री चन्द्रप्रकाश कानिस्टेबल को अवगत करवाये। रिकॉर्डेड वार्ता की ट्रांस्क्रिप्ट आईन्दा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष तैयार की जायेगी। परिवादी को गोपनीयता की हिदायत कर रूखसत किया गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 07.07.2025, 9.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा कार्यालय स्टाफ व परिवादी श्री अरविन्द सिंह शेखावत उपस्थित कार्यालय आया। समय 9.20 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री गौरव यादव हाल कनिष्ठ सहायक राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स, जयपुर व श्री श्यामपति कुमार हाल कनिष्ठ अभियन्ता, नगर निगम जयपुर हैरिटेज उपस्थित कार्यालय आये जिनसे ब्यूरो द्वारा की जाने वाली गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने हेतु सहमति चाही तो दोनों गवाहों ने अपनी अपनी मौखिक सहमति दी। इस पर कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री अरविन्द सिंह शेखावत व स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया और परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दोनों स्वतंत्र गवाहान को पढवाया जाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अरविन्द सिंह शेखावत को संदिग्ध अधिकारी श्री नवनीत जोशी समादेष्टा तथा चन्द्रपाल सिंह, कम्पनी कमांडर, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर को दी जाने वाली रिश्वत राशि 2,00,000/- रूपये में मे पहली किश्त के रूप में दी जाने वाली रिश्वती राशि 25000 रूपये प्रस्तुत करने की कहने पर परिवादी श्री अरविन्द सिंह शेखावत ने अपने पास से 500-500 रूपये के 50 नोट कुल 25000/-रूपये निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये। परिवादी द्वारा उपरोक्त गवाहान के समक्ष पेश की गई प्रचलित भारतीय मुद्रा के 25000/- रूपये के नोटों का विवरण फर्द पेशकशी में अंकित करवाये गये। नोटों के नम्बर मन पुलिस निरीक्षक एवं गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटो के नम्बर फर्दानुसार सही पाये गये। तत्पश्चात श्री विकास कानि. 184 से कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थीलन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर मंगवाया जाकर टेबल पर अखबार बिछाकर उक्त राशि को अखबार पर रखकर श्री विकास कानि.184 मे उक्त राशि पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री अरविन्द सिंह शेखावत की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री श्यामपति कुमार मे लिवायी गयी, परिवादी के पास उसके मोबाईल फोन के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु

नही रहने दी गयी। तत्पश्चात परिवादी श्री अरविन्द सिंह शेखावत की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिने साईड वाली जेब में उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नम्बरी नोटों को श्री विकास कानि. 184 से रखवाया गया। परिवादी को हिदायत की गई कि वो रिश्वती राशि को अनावश्यक रूप से नही छुये व संदिग्ध को रिश्वती राशि देते समय होशियार व चैकन्ना रहें। साथ ही संदिग्ध रिश्वत राशि लेने के पश्चात उसको कहां रखता है यह भी ध्यान रखे। इसके पश्चात परिवादी को सुविधानुसार मन् पुलिस निरीक्षक को मिस कॉल या कान में अंगुली डालकर निर्धारित ईशारा करने की हिदायत की गई। उपस्थित दोनो स्वतन्त्र गवाहान को भी हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखने व उनके मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात एक प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स से सोडियम कार्बोनेट का डिब्बा निकलवाकर उसमें एक प्लास्टिक की चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरिन को दिखाया गया तो घोल रंगहीन रहा, उक्त घोल में श्री विकास कानि. 184 जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था, के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दोनों हाथ की अंगुलियों को घोल में डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे गवाहान व परिवादी को दिखाकर समझाईश की गई कि अगर संदिग्ध अधिकारी इन रंग लगे हुये नोटों को अपने हाथों से छुएगा और उसके हाथ इसी विधि से धुलवाने पर धोवन का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफ्थेलीन पाउडर के डिब्बे को वापस श्री विकास कानि. 184 से पॉलिथीन की थैली में रखवाया गया तथा गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। अखबार जिस पर नोटों को रख कर फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाया गया, उपयोग में ली गई प्लास्टिक की चम्मच तथा डिस्पोजल गिलास, उक्त तीनों को नष्ट करवाया गया। श्री विकास कानि. 184 के हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाया गया। स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता की एक दूसरे से आपसी जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। श्री विकास कानि. 184 मय फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा के मुनासिब हिदायत कर ब्यूरो कार्यालय में छोड़ा गया। परिवादी श्री अरविन्द सिंह शेखावत व संदिग्ध अधिकारी श्री नवनीत जोशी समादेष्टा तथा चन्द्रपाल सिंह, कम्पनी कमांडर, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर के मध्य लेन-देन के समय होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करने हेतु पूर्व में परिवादी की संदिग्ध अधिकारी श्री नवनीत जोशी समादेष्टा तथा चन्द्रपाल सिंह, कम्पनी कमांडर, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर से मांग सत्यापन वार्ता को रिकॉर्ड करने में काम लिए गये विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को इस्तेमाली प्रक्रिया परिवादी श्री अरविन्द सिंह शेखावत को समझाईश कर सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि आप जब संदिग्ध अधिकारी से वार्ता व रिश्वत लेनदेन करे तो वार्ता को रिकॉर्डर चालू कर रिकॉर्ड करे। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत फिनोफ्थलीन पृथक से तैयार की गई। समय 11.30 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक छोटीलाल मय श्री ओमप्रकाश किलानिया अति. पुलिस अधीक्षक, श्री अभिषेक, उप अधीक्षक पुलिस, श्री मनोहर सिंह एएसआई, श्री पूरण सिंह हेड कानि. 95, श्री पुरूषोतम हेड कानि. 69, श्री अशोक कुमार हेड कानि. 137, श्री अशोक कुमार हेड कानि.149, श्री राजेन्द्र सिंह कानि. 55, श्री विरेन्द्र कुमार कानि. 66, श्री सफी मोहम्मद कानि 173, श्रीमती ममता महिला कानि 251, श्री वीरेन्द्र सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी मय स्वतंत्र गवाहान श्री गौरव यादव, श्री श्यामपति कुमार मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक उपकरणों लेपटॉप, प्रिन्टर इत्यादि के सरकारी व प्राइवेट वाहनों से तथा परिवादी को श्री चन्द्रप्रकाश कानि. 181 के साथ परिवादी की कार से रवाना कर गोपनीय कार्यवाही हेतु रवाना हुये। समय 12.05 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के कार्यालय गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र एमआई रोड जयपुर के पास पहुंचा जहां पर परिवादी श्री अरविन्द सिंह शेखावत मय श्री चन्द्रप्रकाश कानि0 के उपस्थित मिला। परिवादी अरविन्द सिंह शेखावत को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालु कर वास्ते रिश्वत लेनदेन हेतु कार्यालय गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र मे रवाना किया गया। एवं मन पुलिस निरीक्षक मय एसीबी जाब्ता व स्वतंत्र गवाहान के अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के पीछे पीछे रवाना होकर ग्रह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र एमआई रोड के परिसर मे ईशारे के इन्तजार मे मुकीम हुये। समय करीब 12.15 पीएम पर कम्पनी कमाण्डर प्रशासन की नेम प्लेट लगे कार्यालय के कमरा मे जाता हुआ दिखाई दिया जहां से थोडी देर बाद से उस कक्ष से निकलकर कार्यालय के दुसरे कक्ष जिसके बाहर अंग्रेजी में नवनीत जोशी कमाण्डेण्ट की नेम प्लेट लगी हुई है, मे जाता हुआ दिखाई दिया। थोडी ही देर मे निकलकर पुनः प्रारम्भ मे कम्पनी कमाण्डर के कक्ष मे गया था उसमें जाता हुआ दिखाई दिया। थोडी देर पश्चात् उस कक्ष से निकलकर परिवादी अरविन्द सिंह शेखावत व एक अन्य बावर्दी व्यक्ति बाहर आकर नवनीत जोशी कमाण्डेण्ट के कार्यालय कक्ष मे जाता हुआ नजर आया। कुछ ही देर बाद परिवादी अरविन्द शेखावत उस कार्यालय कक्ष से बाहर आकर समय 12.45 पीएम पर रिश्वत लेनदेन का नियत ईशारा किया जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के परिवादी श्री अरविन्द सिंह शेखावत के पास पहुच कर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर उसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी अरविन्द सिंह शेखावत ने बताया कि चन्द्रपाल सिंह शेखावत ने मेरे से कमाण्डेण्ट नवनीत जोशी के कहेनुसार रिश्वत प्राप्त कर ली है जो कमाण्डेंट साहब के साथ अन्दर कमरे मे बैठा है जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के साथ कमाण्डेंट कक्ष मे अन्दर प्रवेश किया जहां पर दो व्यक्ति बावर्दी जिनमे से एक व्यक्ति ऑफिसर चेयर पर एवं दुसरा व्यक्ति विजीटर चेयर पर बैठा है जिनको मन पुलिस निरीक्षक ने अपना एवं ट्रेप टीम के सदस्यों एवं स्वतंत्र गवाहान का परिचय

देकर उनका नाम पता पूछा तो ऑफिसर चेयर पर बैठे बावर्दी अधिकारी ने अपना नाम श्री नवनीत जोशी पुत्र श्री नवीन चन्द्र जोशी उम्र 47 वर्ष निवासी 45, गुरू जम्भेश्वर नगर-बी, वैशाली नगर, जयपुर पुलिस थाना चित्रकूट, आयुक्तालय जयपुर हाल कमाण्डेण्ट/समादेष्टा, होमगार्ड प्रशिक्षण केन्द्र, एमआई रोड जयपुर होना बताया एवं विजिटर चैयर पर बैठे बावर्दी व्यक्ति ने अपना नाम श्री चन्द्रपाल सिंह शेखावत पुत्र श्री जयसिंह उम्र 58 वर्ष निवासी मुकाम पोष्ट सेफरागुवार पुलिस थाना थोई जिला सीकर हाल प्लॉट नम्बर 288, लॉयन्स लाईन वेस्ट, महावीर कुंज गार्डन के पीछे, बीड़ खातीपुरा, झोटवाड़ा, सिरसी रोड़, जयपुर पुलिस थाना करणीविहार हाल कम्पनी कमाण्डर(प्रशासन) होमगार्ड प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर होना बताया तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी अरविन्द सिंह शेखावत से पूछा तो परिवादी अरविन्द ने बताया कि मैं होमगार्ड मे मुख्य आरक्षी के पद पर कार्यरत था और मुझे कमाण्डेंट साहब द्वारा एक दिन की गैरहाजरी पर सस्पेण्ड कर नोटिस जारी कर दिया जिस पर मैं नोटिस के निर्णय किये जाने व मुझे डयूटी पर बहाल करने के लिए कमाण्डेंट साहब नवनीत जोशी व चन्द्रपाल सिंह कम्पनी कमाण्डर से निवेदन किया तो कमाण्डेण्ट साहब नवनीत जोशी ने मुझसे नोटिस के निर्णय व बहाली के लिए 2 लाख रूपये की रिश्वत प्राप्त करना तय किया था एवं मेरे द्वारा एक साथ इतनी राशि की व्यवस्था करने में असमर्थता जताने पर नवनीत जोशी कमाण्डेंट साहब द्वारा 2 लाख रूपये की 8 मासिक किश्ते 25,000-25,000/- रूपये की रिश्वत की मांग की गई थी और पहली किश्त सोमवार को लेना तय किया था। जिस पर पहली किश्त 25 हजार रूपये देने के लिए आज दिनांक 07.07.2025 सोमवार को मैं आज होमगार्ड प्रशिक्षण केन्द्र मे आकर सबसे पहले कम्पनी कमाण्डर श्री चन्द्रपाल सिंह शेखावत के कक्ष मे जाकर उनसे मिला और बताया कि कमाण्डेण्ट साहब द्वारा तय की गई रिश्वत राशि दो लाख रूपये मे से प्रथम किस्त 25000 रूपयेलेकर आने के बारे मे बताया तो श्री चन्द्रपाल सिंह ने मुझसे कहा कि कमाण्डेंट साहब से जाकर मिल जिस पर मैं कमाण्डेंट साहब से जाकर उनके कक्ष मे मिला एवं कमाण्डेंट साहब को तय की गई प्रथम किश्त लाने के बारे मे बताया तो कमाण्डेंट साहब नवनीत जोशी ने कहा कि चन्द्रपालजी से मिलो एवं उनको दे दो जिस पर मैं पुनः चन्द्रपाल जी से जाकर मिला एवं उनको कहा कि कमाण्डेंट साहब ने आपको देने के लिए कहा है जिस पर मैने रिश्वती राशि 25000 रूपये श्री चन्द्रपालजी को दी जिन्होने रिश्वती राशि अपने हाथ मे लेकर दोनो हाथों से गिनने के बाद कहा कि 25 है तो मेने कहा कि नगद पुरे 25 है। इस पर चन्द्रपालजी ने रिश्वती राशि 25000 रूपये को अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब मे रख लिये। उसके बाद मे मैने चन्द्रपाल जी को कहा कि आप मेरे साथ कमाण्डेंट साहब के पास चलो एवं मेरी जमानत पक्की करके 25,000/- रूपये प्राप्त करने के लिए कहकर मुझे चढाओ। जिसके बाद मैं एवं चन्द्रपालजी कमाण्डेंट साहब के कक्ष मे आये जहां पर कमाण्डेंट साहब फोन पर बात कर रहे थे जिन्होने मेरे को कहा मिल लिये और बाहर जाने का ईशारा किया और चन्द्रपालजी वहीं पर कुर्सी पर बैंठ गये और मैं बाहर आ गया। इसके बाद हमराही जाब्ता की मदद से श्री चन्द्रपाल सिंह शेखावत के दोनो हाथों के पोंचो से पकडवाया जाकर मन पुलिस निरीक्षक ने श्री चन्द्रपाल सिंह शेखावत को रिश्वत राशि के बारे मे पूछा तो उन्होने बताया कि अभी अरविन्द सिंह मेरे को 25000 रूपये दिये है और कहा कि कमाण्डेंट साहब ने भेजे है, मैंने अरविन्द सिंह शेखावत से 25,000/- रूपये कमाण्डेण्ट नवनीत जोशी के कहने पर लिये है, किसलिए दिये है इसकी मुझे जानकारी नही है जिस पर सामने कुर्सी पर बैठे कमाण्डेंट श्री नवनीत जोशी से रिश्वती राशि के बारे मे पूछा तो उन्होने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नही है। ना तो मैने अरविन्द को पैसों के लिए कहा एवं ना ही चन्द्रपाल को कहा। आज की तारीख मे अरविन्द का कोई कार्य पैण्डिग नही है। तत्पश्चात चन्द्रपाल सिंह से रिश्वत राशि कहां है के बारे मे पूछा तो चन्द्रपाल सिंह ने बताया कि मेरी पेन्ट की जेब में है जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री गौरव यादव से चन्द्रपाल सिंह की जामा तलाशी लिवाई तो पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब से 500-500 रूपये के नोटों की गड्डी मिली एवं बायीं जेब में एक मोबाइल फोन वन प्लस स्लेटी रंग तथा पीछे की जेब से एक पर्स मिला। सामने की दाहिनी जेब मे मिली 500-500 रूपये के नोटो को दोनों गवाहान से गिनवाया तो 500-500 रूपये के कुल 50 नोट 25000 रूपये होना पाये गये जिनका मिलान स्वंतत्र गवाहान से फर्द पेशकशी रिश्वती राशि मे अंकित नोटों के नम्बरों से करवाया तो हुबहु वही नोट होना पाये गये जिनको स्वतंत्र गवाह श्री गौरव यादव के पास सुरक्षित रखवाये गये। पर्स को स्वतंत्र गवाहान से चैक करवाया तो पर्स में श्री चन्द्रपाल सिंह शेखावत का आधार कार्ड व विभागीय परिचय पत्र व 4390 रूपये मिले जिनको वापस पर्स में रखवाया गया। मन् टीएलओ द्वारा वन प्लस नोर्ड सीई 3 कम्पनी मोबाइल को आरोपी श्री चन्द्रपाल से चैक करवाया तो स्क्रीन पासवर्ड 931422 होना बताये तथा मोबाइल में दो सिम होकर प्रथम सिम नम्बर [redacted] जियो कम्पनी तथा [redacted] एयरटेल कम्पनी, आईएमईआई नम्बर स्लॉट [redacted] व स्लॉट-2- [redacted]होना बताये। मोबाइल फोन को श्री चन्द्रपाल सिंह से स्विच ऑफ करवाकर वास्ते अनुसंधान कब्जा एसीबी लिया गया व श्री चन्द्रपाल सिंह शेखावत का आधार कार्ड व विभागीय परिचय पत्र व 4390 रूपये को कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात परिवादी अरविन्द सिंह शेखावत एवं उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ट्रेप बॉक्स से एक साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें स्वच्छ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी चन्द्रपाल सिंह शेखावत के दांहिने हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना

बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क R-1 व R-2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी अरविन्द सिंह शेखावत तथा आरोपी चन्द्रपाल सिंह शेखावत के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद ट्रेप बॉक्स से दुसरा साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोटल गिलास निकलवाकर उसमें स्वच्छ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी चन्द्रपाल सिंह शेखावत के बांये हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबीहोना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क L-1 व L-2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी श्री अरविन्द सिंह शेखावत तथा आरोपी चन्द्रपाल सिंह शेखावत के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। इसके पश्चात् स्वतंत्र गवाह श्री गौरव यादव के पास सुरक्षित रखवायी गयी रिश्वत राशि 25000 रूपये का पुनः दोनों गवाहान व मन् टीएलओ द्वारा फर्द पेशकशी से मिलान किया तो नोटो के नम्बर हूबहू पाये गये। सभी नोटो को सफेद कागज की चिट के साथ सील मोहर कर चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। तत्पश्चात आरोपी चन्द्रपाल सिंह शेखावत के कार्यालय से अन्य कर्मचारी से सिविल कपड़े मंगवाकर आरोपी की पहनी हुई खाकी वर्दी को ससम्मान उतरवाया जाकर सिविल कपड़े पहनाये गये। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोटल एक साफ गिलास निकलवाकर उसमें स्वच्छ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। उक्त मिश्रण मे आरोपी चन्द्रपाल सिंह शेखावत उतरावायी वर्दी के पेन्ट की दाहिनी जेब जिसमें से रिश्वती राशि बरामद हुई थी को उलटवाकर डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा कर मार्क P-1 व P-2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी श्री अरविन्द सिंह शेखावत तथा आरोपी चन्द्रपाल सिंह शेखावत के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। तथा उक्त पेन्ट की जेब को सुखवाकर जेब पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट की कपड़े की एक थैली में सील कर कपड़े की थैली पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P अंकित कर कब्जा एसीबी लिये गये। तत्पश्चात् श्री नवनीत जोशी, कमाण्डेण्ट/समादेष्टा की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री श्यामपति कुमार से लिवायी गयी तो उसकी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की दाहिनी जेब में एक आईफोन कम्पनी का मोबाइल व पेन्ट की पीछे की जेब में एक पर्स मिला। पर्स को दोनों गवाहान से चैक करवाया गया तो पर्स में 2980 रूपये नगद, विभागीय परिचय पत्र व आधार कार्ड मिले। मन् टीएलओ द्वारा एप्पल कम्पनीआईफोन-12 मोबाइल को आरोपी श्री नवनीत जोशी से चैक करवाया तो स्क्रीन पासवर्ड 525216 होना बताये तथा मोबाइल में दो सिम होकर प्रथम सिम नम्बर [redacted] एयरटेल कम्पनी तथा [redacted] जियो कम्पनी, आईएमईआई नम्बर स्लॉट [redacted] व स्लॉट- [redacted] होना बताये। मोबाइल फोन को श्री नवनीत जोशी से स्विच ऑफ करवाकर वास्ते अनुसंधान कब्जा एसीबी लिया गया व पर्स मय नगद राशि 2980 रूपये, विभागीय परिचय पत्र व आधार कार्ड को कब्जा एसीबी लिया गया।इसके पश्चात् श्री नवनीत जोशी कमाण्डेण्ट/समादेष्टा से परिवादी श्री अरविन्द सिंह शेखावत के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली/रिकॉर्ड के बारे में पूछा तो श्री नवनीत जोशी ने बताया कि श्री अरविन्द सिंह शेखावत के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली/रिकॉर्ड श्रीमती अनीता जादौन प्रशासनिक अधिकारीके पास है जिस पर परिवादी श्री अरविन्द सिंह शेखावत के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की सत्यप्रति अनीता जादौन प्रशासनिक अधिकारी से प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात् मन् टीएलओ द्वारा मेरे पास सुरक्षित रखे विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ऑन कर सुना गया तो डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसमें आज दिनांक को परिवादी अरविन्द सिंह शेखावत द्वारा सर्वप्रथम कम्पनी कमाण्डर चन्द्रपाल सिंह के पास गया जिसने परिवादी को कमाण्डेण्ट के पास भिजवाया तो परिवादी अरविन्द सिंह शेखावत द्वारा कमाण्डेण्ट नवनीत जोशी के कक्ष में आकर रिश्वती राशि की प्रथम किश्त (25,000/- रूपये) लाने की बात कही गई जिस पर नवनीत जोशी द्वारा परिवादी को कम्पनी कमाण्डर चन्द्रपाल सिंह के पास लेनदेन हेतु भेजा गया, परिवादी अरविन्द सिंह शेखावत नवनीत जोशी के कहेनुसार चन्द्रपाल सिंह के कक्ष में आया जहां पर चन्द्रपाल सिंह द्वारा परिवादी से नवनीत जोशी के कहेनुसार 25,000/- रूपये की रिश्वती राशि प्राप्त की गई और परिवादी के साथ मय रिश्वती राशि के परिवादी को ड्यूटी पर चढाने के लिए कमाण्डेण्ट नवनीत जोशी के कक्ष में लेकर गया जहां पर नवनीत जोशी द्वारा परिवादी को कहा गया कि मिल लिये और उसके बाद परिवादी को कक्ष से बाहर भेजा गया से सम्बन्धित वार्ताएं दर्ज होना पाई गई। घटनास्थल पर श्री सफी मोहम्मद कानि0 173 से विभागीय विडियो कैमरे से रिकॉर्डिंग करवाई गई। तत्पश्चात समय 5.15 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री चन्द्रपाल सिंह शेखावत कम्पनी कमाण्डर गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर को अपनी आवाज का नमूना देने हेतु जरिये फर्द नोटिस दिया गया तो आरोपी चन्द्रपाल सिंह शेखावत ने नोटिस की एक प्रति प्राप्त कर दुसरी प्रति पर अपनी नमूना आवाज देने से लिखित मे इन्कार किया। इसके बाद 5.25 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री नवनीत

जोशी कमाण्डेंट गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर को अपनी आवाज का नमूना देने हेतु जरिये फर्द नोटिस दिया गया तो आरोपी नवनीत जोशी ने नोटिस की एक प्रति प्राप्त कर दुसरी प्रति पर अपनी नमूना आवाज देने से लिखित मे इन्कार किया। अब तक के सम्पर्ण तथ्यों से स्पष्ट है कि परिवादी श्री अरविन्द सिंह शेखावत जो होमगार्ड के पद पर पदस्थापित है को निलम्बन से बहाल करने व विभागीय कार्यवाही का निर्णय करने के लिए नवनीत जोशी कमाण्डेण्ट/समादेष्टा, होमगार्ड प्रशिक्षण केन्द्र, एमआई रोड़ द्वारा परिवादी अरविन्द सिंह शेखावत से 02 लाख रूपये की रिश्वत की मांग की गई तथा रिश्वती राशि 02 लाख रूपये 08 मासिक किश्तों में प्राप्त करना तय किया गया तथा तय की गई रिश्वती राशि की प्रथम किश्त 25,000/- रूपये स्वयं के पास पदस्थापित कम्पनी कमाण्डर श्री चन्द्रपाल सिंह शेखावत के माध्यम से प्राप्त करना तय करते हुये आज दिनांक को 25,000/- रूपये की रिश्वती राशि चन्द्रपाल सिंह शेखावत के माध्यम से प्राप्त की गई जो चन्द्रपाल सिंह से मौके पर रंगे हाथों बरामद की गई। इस पर रूबरू स्वतंत्र गवाहान आरोपी श्री चन्द्रपाल सिंह शेखावत कम्पनी कमाण्डर गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर एवं श्री नवनीत जोशी कमाण्डेंट गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर को जुर्म से आगाह कर पृथक पृथक जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। इसके बाद आरोपीगण चन्द्रपाल सिंह शेखावत व श्री नवनीत जोशी के पृथक पृथक धारा 47,48 बीएनएसएस 2023 के प्रावधानों के अनुसार नोटिस तैयार कर शामिल पत्रावली किये गये। इसके बाद धटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर नक्शा मौका एवं हालात मौका तैयार किया गया। समय 6.10 पी. एम. इस समय मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री अरविन्द सिंह शेखावत, स्वतंत्र गवाहान, गिरफतार शुदा आरोपीगण श्री चन्द्रपाल सिंह शेखावत व श्री नवनीत जोशी, हमराहियान जाब्ता, जब्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की शिशिया, सिल्डशुदा पैकेट, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर व सरकारी सामान मय सरकारी वाहनों एवं परिवादी के वाहन से मौके से बाद ट्रेप कार्यवाही ब्यूरो कार्यालय हेतु रवाना होकर समय 6.30 पी.एम. ब्यूरो कार्यालय पंहुचा। दिनांक 08.07.2025 को स्वंतत्र गवाह श्री गौरव यादव व श्री श्यामपति कुमार व परिवादी श्री अरविन्द सिंह शेखावत के उपस्थित कार्यालय आने पर उपस्थित परिवादी अरविन्द सिंह शेखावत व उपस्थित गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं के पास सुरक्षित रखे वॉईस् रिकॉर्डर को स्वयं की अलमारी से निकालकर कार्यालय लेपटॉप की सहायता से वॉईस् रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड में दिनांक 03.07.2025 की सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 07.07.2025 की रिश्वत लेनदेन के दौरान दर्ज वार्ताओं को सुना जाकर वार्ता रूपान्तरण की ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई, उक्त वार्तालाप में दर्ज वार्ताओं में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की व अन्य आवाज में चन्द्रपाल के नाम के आगे दर्ज आवाज आरोपी चन्द्रपाल सिंह कम्पनी कमाण्डर व नवनीत के नाम के आगे दर्ज आवाज आरोपी श्री नवनीत जोशी कमाण्डेंट की होना पहचान की व फर्द में अन्य व्यक्तियों के नाम के आगे दर्ज वार्ता में आवाज नाम के अनुरूप होना पहचान की। ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके पर रिश्वत लेनदेन के पश्चात आरोपीगण को डिटेन करने व रिश्वत राशि बरामदगी की विडियोग्राफी विभागीय डिजीटल विडियो रिकॉर्डर/कैमरा मे एसडी कार्ड मे करवाई गई थी कैमरे मे लगे मैमोरी कार्ड को लेपटॉप की सहायता से गवाहान व परिवादी के समक्ष चलाकर कार्ड मे वक्त ट्रेप कार्यवाही विडियो रिकॉर्डिंग होना सुनिश्चित किया। रिकॉर्ड वार्ता व विडियो क्लिप की कार्यालय लेपटॉप की सहायता से 05 डीवीडी तैयार कर मार्क ए-1, ए-2, ए-3, ए-4 व ए-5 दिया जाकर डीवीडी ए-1, ए-2, ए-3 को सील्ड मोहर किया एवं वार्तालाप से संबंधित मूल सोर्स micro SD HC 32 GB HIKVISION को प्लास्टिक कवर मे रखकर अलग से माचिस की डिब्बी मे डालकर सफेद कपडे की थैली मे डालकर सीलमोहर कर मार्क एसडी अंकित कर थैली पर परिवादी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा विडियो रिकॉर्डिंग से संबंधित मूल सोर्स एसडी कार्ड सेनडिस्क 32 जीबी को पृथक से प्लास्टिक कवर मे रखकर माचिस की डिब्बी मे डालकर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर सीलमोहर कर मार्क एसडी 1 अंकित कर परिवादी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। इस प्रकार अब तक की उपरोक्त समस्त कार्यवाही से आरोपी श्री चन्द्रपाल सिंह शेखावत पुत्र श्री जयसिंह उम्र 58 वर्ष निवासी मुकाम पोष्ट सेफरागुवार पुलिस थाना थोई जिला सीकर हाल प्लॉट नम्बर 288, लॉयन्स लाईन वेस्ट, महावीर कुन्ज गार्डन के पीछे, बीड़ खातीपुरा, झोटवाड़ा, सिरसी रोड़, जयपुर पुलिस थाना करणीविहार हाल कम्पनी कमाण्डर(प्रशासन) होमगार्ड प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर व श्री नवनीत जोशी पुत्र श्री नवीन चन्द्र जोशी उम्र 47 वर्ष निवासी 45, गुरू जम्भेश्वर नगर-बी, वैशाली नगर, जयपुर पुलिस थाना चित्रकूट, आयुक्तालय जयपुर हाल कमाण्डेण्ट/समादेष्टा, होमगार्ड प्रशिक्षण केन्द्र, एमआई रोड जयपुर द्वारा मिलीभगत कर परिवादी श्री अरविन्द सिंह शेखावत को निलम्बन से बहाल करने एवं उसको दिये गये नोटिस का निर्णय करने व ड्यूटी लगाने की एवज में मांग सत्यापन के दौरान तय रिश्वत राशि 2,00,000/- रूपये में से तय की गई 25,000-25,000/- रूपये की आठ किश्ते तय की गई थी। उक्त मांग के अनुसरण में रिश्वत राशि की प्रथम किश्त 25,000/- रूपये दिनांक 07.07.2025 को श्री नवनीत जोशी की सहमति मे श्री चन्द्रपाल सिंह कम्पनी कमाण्डर द्वारा प्राप्त करना पाया जाने पर उक्त आरोपीगण श्री चन्द्रपाल सिंह शेखावत कम्पनी कमाण्डर व श्री नवनीत जोशी, समादेष्टा/कमाण्डेण्ट, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7,12 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। अतः 1. श्री चन्द्रपाल सिंह शेखावत पुत्र श्री जयसिंह उम्र 58 वर्ष निवासी मुकाम पोष्ट सेफरागुवार पुलिस थाना थोई जिला सीकर हाल प्लॉट नम्बर 288, लॉयन्स लाईन वेस्ट, महावीर कुन्ज गार्डन के पीछे, बीड़ खातीपुरा, झोटवाड़ा, सिरसी रोड़, जयपुर पुलिस थाना

करणीविहार हाल कम्पनी कमाण्डर(प्रशासन) होमगार्ड प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर 2. श्री नवनीत जोशी पुत्र श्री नवीन चन्द्र जोशी उम्र 47 वर्ष निवासी 45, गुरू जम्भेश्वर नगर-बी, वैशाली नगर, जयपुर पुलिस थाना चित्रकूट, आयुक्तालय जयपुर हाल कमाण्डेण्ट/समादेष्टा, होमगार्ड प्रशिक्षण केन्द्र, एमआई रोड जयपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7,12 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है भवदीय, एसडी (छोटीलाल) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर द्वितीय, जयपुर ....कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री छोटीलाल पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर द्वितीय, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 , 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी 1- श्री चन्द्रपाल सिंह शेखावत पुत्र श्री जयसिंह उम्र 58 वर्ष निवासी मुकाम पोष्ट सेफरागुवार पुलिस थाना थोई जिला सीकर हाल प्लॉट नम्बर 288, लॉयन्स लाईन वेस्ट, महावीर कुन्ज गार्डन के पीछे, बीड़ खातीपुरा, झोटवाड़ा, सिरसी रोड़, जयपुर पुलिस थाना करणीविहार हाल कम्पनी कमाण्डर(प्रशासन) होमगार्ड प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर एवं 2. श्री नवनीत जोशी पुत्र श्री नवीन चन्द्र जोशी उम्र 47 वर्ष निवासी 45, गुरू जम्भेश्वर नगर-बी, वैशाली नगर, जयपुर पुलिस थाना चित्रकूट, आयुक्तालय जयपुर हाल कमाण्डेण्ट/समादेष्टा, होमगार्ड प्रशिक्षण केन्द्र, एमआई रोड जयपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री भूपेन्द्र, अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-प्रथम, जयपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 166 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 998-1002 दिनांक 09-07-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या -1, जयपुर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3- शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-7) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान,जयपुर। 4-महानिदेशक एवं समादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-द्वितीय, जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Bhupendra **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 09/07/2025 18:21:41

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1967				
2	Male	1978				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)